18/1/23	बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी न तो अपी० एवं न ही अपीलार्थी अभिभाषक उपस्थित आये। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर